

संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश  
(अपर बेसमेंट "बी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)



www.ayush.mp.gov.in  
E-mail:-jdayush@mp.gov.in  
dircollegeayush.mp@mp.gov.in

Office (0755)2571643  
Fax (0755)2760225  
Office (0755)2552931

कमांक/एफ- /

/17/IV-आयुष शिक्षा,


भोपाल,दिनांक:- /10/17

-:सूचना:-

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित अनंतिम आदेशों के क्रम में निम्नलिखित संस्थाओं को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से सम्पन्न होने वाली तृतीय चरण की काउंसिलिंग में सम्मिलित करने की अनुमति माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधधीन दी जा रही है:-

स.क.	महाविद्यालय का नाम	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका कमांक जिसमें अंतरिम आदेश जारी किया गया है
1	एस.एम. देव होम्योपैथिक मेडिकल कालेज बॉलाघाट।	WP -15219/2017
2	एल.बी.एस. होम्योपैथिक मेडिकल कालेज भोपाल।	WP -15439/2017
3	सागर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज सागर।	WP -15035/2017
4	वंसुधरा राजे होम्योपैथी मेडिकल कालेज ग्वालियर।	WP -15695/2017

अतः उक्त संस्थाओं को अभी भारत शासन आयुष मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। उक्त संस्था में प्रवेश की अनुमति माननीय उच्च न्यायालय के अनंतिम आदेश के तारतम्य में दी जा रही है। भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त होने पर ही प्रवेश मान्य किये जावेंगे। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वह संस्था प्रबंधन एवं उसमें प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को मान्य होगा।

  
(डॉ. जे.के. गुप्ता)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
संचालनालय आयुष म.प्र.